न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बौंली जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— बद्री नारायण मीना आर ए एस

वाद पत्र संख्या 35/2017

रूद्रप्रताप सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी रूंगटी तहसील बौंली जिला स.माधोपुर

...... वादीगण

बनाम

1. पृथ्वी सिंह पुत्र नाथू सिंह
2. करणी प्रताप सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह
3. गुरूदान सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह
4. गोवर्धन सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह
   जाति राजपूत निवासी रूंगटी तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर
5. शाखा प्रबंधक , सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा मित्रपुरा
6. शाखा प्रबंधक, बैंक आफ बडौदा शाखा मित्रपुरा
7. लैण्ड होल्डर, तहसीलदार साहब, बौंली

.... प्रतिवादीगण

वाद पत्र इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित— श्री रामकिशन गुर्जर एडवोकेट वादी की और से

आदेश

दिनांक 14.6.22

वादीगण की और से यह दावा इस अमर का पेश किया कि ग्राम रूंगटी तहसील बौंली में प्रतिवादी सं.1 वादी के पिता एवं प्रति.सं. 2 ल. 4 वादी के खास भाई हैं ग्राम रूगटी की आराजी जमाबंदी संवत 2069—72 खाता संख्या 72 रकबा 11. 72 हैक्टैयर एवं खाता संख्या 21 रकबा 3.98 हैक्टैयर वाके हैं उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ल. 5 को दादी साहिबा स्व. कंवरानी जी राठौड पत्नि श्री नाथूसिंह जी ने वर्ष 1998 मेकं दिनांक 16.4.98 को जरिये रजिस्टर्ड वसीयत दी थी। उनके इंतकाल पर उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ल. 4 की खातेदारी में दर्ज हुयी। वादी को बचपन में मनमोहन सिंह नाम से पुकारते थे इस कारण उक्त वसीयत में मनमोहन सिंह लिख दिया गया । उस समय वादी नाबालिग था। कुछ नहीं समझता था। लेकिन वादी का सभी दस्तावेजात में रूद्रप्रताप सिंह दर्ज हैं । इस कारण मनमोहन सिंह के स्थान पर रूद्रप्रताप सिंह शुध्द किया जाना अनिवार्य हैं ताकि वह

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

अपने हिस्से की भूमि हेतु किसान क्रेडिट कार्ड आदि बनवाकर [illegible] कर सके । अतः उक्तानुसार शुद्धता फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 दिनांक 20.11.17 को इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया इस कारण तनकीयात विरचित नहीं की गयी।

साक्ष्य वादी की ओर से पी.डब्लू.1 रूद्रप्रताप सिंह, पी.डब्लू.2 हरिसिंह की करायी गयी एवं प्रलेखीय दस्तावेजात मे प्रदर्श-1 जमाबंदी खाता सं. 21, प्रदर्श-2 जमाबंदी खाता सं. 72, प्रदर्श-3 आधार कार्ड, प्रदर्श-4 ग्राम पंचायत सिनपुरा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।

बहस वादी सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया। वादी ने दावे मे अभिकथन किया है कि उसको बचपन मे मनमोहन सिंह के नाम से पुकारते थे इस कारण उनकी दादी की ओर से भी गलती वसीयत मे मनमोहन सिंह दर्ज किया गया तथा इसी आधार पर दादी के इन्तकाल पर वसीयत के आधार पर राजस्व रिकोर्ड मे मनमोहन सिंह दर्ज हो गया। जबकि भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड राशनकार्ड, उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका 2014 माध्यमिक परीक्षा 2011 की अंकतालिका, मे रूद्रप्रताप सिंह दर्ज है साथ ही ग्राम पंचायत सिनपुरा की ओर से जारी प्रमाण पत्र मे यह उल्लेख किया गया है कि रूद्रप्रताप सिंह उर्फ मनमोहन सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी रूगटी इस नाम का एक ही व्यक्ति है रूद्रप्रताप सिंह व मनमोहन सिंह दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। जिस पर तहसीलदार ने शुध्दि करने हेतु अनुशंषा भी की है। साथ ही सहखातेदारान ने भी इकबालिया जवाब पेश किया है ।

अतः हमारे विनम्र अभिमत मे उक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण केवल धारा 136 राज.भू.अधि. की हद मे ही स्वीकार किया जाता है। डिक्री की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। तदानुसार शुध्द किया जाना विधिसंगत है।

आदेश

उक्त विवेचना के परिपेक्ष्य मे वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बौंली को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम रूगटी तहसील बौंली के जमाबंदी संवत 2069-72 के अनुसार खाता सं. 21 एवं खाता सं. 72 मे मनमोहन के स्थान पर रूद्रप्रताप सिंह शुध्द किया जावे । शेष इन्द्राजात पूर्ववतः यथावत रखा जावें।

(बद्री नारायण मीना)
उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला स.मा.
बौंली जिला सवाई माधोपुर

निर्णय आज दिनांक 14.5.22 को निवृत न्यायालय मे लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं उच्चारित किया गया।

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला स.मा.
बौंली जिला सवाई माधोपुर